अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No- 14 / 2013

रसीक हेम्ब्रम वगै0

बनाम

जगन हॉसदा एवं अन्य

12/07/23

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न .न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपील अपीलकर्त्ता द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के म्युटेशन अपील केश नं0–06/2009–10 रसिक हेम्ब्रम बनाम् मुंशी हॉसदा वगै0 में दिनांक–27.07.2011 को पारित आदेश को निरस्त करने एवं अंचलाधिकारी, मेहरमा के नामांतरण वाद संख्या–301/1975–76 के आदेश दिनांक–24.04.1976 के विरूद्ध यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया था। जिसे सुनवाई के पश्चात् उपायुक्त महोदय द्वारा अपीलवाद स्वीकृत करते हुए विषयगत वाद अधोहंस्ताक्षरी के न्यायालय में विचारण हेतु हस्तांतरण किया गया है। विषयगत वाद में पक्षकारों को नोटिश निर्गत कारण पृच्छा की मांग की गयी।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए विपक्षीगण की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख करते है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने गलत आदेश पारित किये है जो न्यायसंगत नही है। उनका आगे कथन है कि मौजा– शंकरपुर, नं0–23, थाना–मेहरमा, जमाबंदी नं0–35 दाग नं0–678, 679, 619, एवं 656 कुल रकवा– 11-15-13 धूर जमीन दासु हेम्ब्रम के नाम से खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्ता का यह कथन है कि खतियानी रैयत को दो पुत्र यथा–बल्ली हेम्ब्रम (अपीलकर्त्ता 01 एवं 02 के पिता) एवं कल्लु हेम्ब्रम (अपीलकर्त्ता 03 से 05 के पिता) थे। अपने पिता के मृत्यु के उपरांत विषयगत जमीन पर उत्तराधिकारी के रूप में हकदार वो दखलकार चले आ रहे है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का आगे कथन है कि उत्तरवादी मुंशी हेम्ब्रम वगै0 ने स्वयं को जमाबंदी रैयत का नाती वारिसान बताकर भूमि का अवैध नामांतरण करा लिया जबकि अपीलकर्त्ता आदिवासी है तथा आदिवासी समुदाय में पुत्री को भूमि पर अधिकार प्राप्त नही है। इस संदर्भ में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक अधिनियम) 1949 के Appedix "52)" में दिये गये नियम को दाखिल किया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, मेहरमा का पत्रांक–404/रा0 दिनांक– 13.04.2017 के द्वारा तालु टुडू बनाम् छोटाबली हेम्ब्रम के बीच विवाद में अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति दाखिल है जिसमें स्पष्ट है कि अपीलकर्त्तागण जमाबंदी नं0–23 के वारिसान है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवकता का यह भी कहना कि अंचलाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता एवं खतियानी रैयतों के वारिसान को नोटिस नही दिया है और न ही तामिला पर हस्ताक्षर वो टीप निशान है तथा क्रिमिनल कोर्ट केस द्वारा पारित आदेश की कोई मान्यता अपीलीय न्यायालय (रेभेन्यू) में नही होता है।

पुनः अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता आगे उल्लेख करते है कि निम्न न्यायालय का आदेश लिमिटेशन के बिन्दु पर एवं पक्षकारों की मृत्यु के पश्चात् वैध वारिसान को पक्षकार बनाने पर आधारित है तथ्यों पर आधारित नही है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते है।

वहीं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, मेहरमा का नामान्तरण वाद सं0–301/75–76 में पारित आदेश बिल्कुल न्यायसंगत है। उत्तरवादी मौजा– शंकरपुर, नं0–23, थाना–मेहरमा, जमाबंदी नं0–35 के नाती रैयत है। वास्तव में उक्त जामबंदी के वैध वारिसान उत्तरवादीगण ही है। अपीलकर्त्तागणों को दुमका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सजा हुआ था जिसके आलोक में युक्तिगत प्रमाण अभिलेख में नही है इस कारण निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त होने लायक नही है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ/सरकारी अधिवक्ता के बहस सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक– 07.04.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–03 निम्न न्यायालय में उपस्थित थे जिसने शपथ पत्र भी दाखिल किया। इसप्रकार कहां जा सकता है कि वाद प्रक्रिया के दौरान विपक्षी उपस्थित थे अतः एक भी पक्षकार के जीवित रहने पर अपील की सुनवाई की जानी चहिए तथा विषयगत केस मे विधिवत आदेश पारित किया जाना चाहिए जो निम्न न्यायालय मे नही किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के अपील वाद संख्या–06/2009–10 आदेश 26.08.2009 रसिक हेम्ब्रम बनाम् मुंशी हॉसदा वगै0 में दिनांक–27.07.2011 को पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा का नामांतरण वाद संख्या–301/1975–76 आदेश दिनांक–24.04.1976 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है साथ ही अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि पंजी–2 मे आवश्यक सुधार कर नियमानुसार पुनः नामांतरण प्रक्रिया अपनायें। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

10.7.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

10.7.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.10.13 12:50:17 +05:30
Location: 192.168.1.3